प्रेस विज्ञप्ति
08.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए गिरीश तलरेजा को दिनांक 02.03.2024 को और सूरज चोखानी को 03.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी व्यक्ति को 11.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है।

ईडी की जाँच से पता चला कि गिरीश तलरेजा की "लोटस365" के संचालन में हिस्सेदारी (स्टेक होल्डर) है, जो महादेव ऑनलाइन बुक की सहयोगी कंपनी है। वह *लोटस365* के अवैध संचालन में रतन लाल जैन उर्फ अमन और सौरभ चंद्राकर के साथ भागीदार है। इस प्रकार गिरीश तलरेजा को *लोटस365* के अवैध संचालन से उत्पन्न अपराध की आय का शोधन करने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पाया गया। पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत दिनांकः 01.03.2024 को कोलकाता, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र और गोवा में कई स्थानों पर तलाशी की गई, जिसमें पुणे, महाराष्ट्र से संचालित होने वाली *लोटस365* की शाखाएं भी शामिल थीं। पता चला कि इस शाखा द्वारा प्रति माह करीब 50 करोड़ का सट्टा-नकदी (बेटिंग-कैश) संभाली जा रही थी। गिरीश तलरेजा को इस शाखा के "कैश हैंडलिंग व्हाट्सएप ग्रुप" के सदस्यों में से एक पाया गया। तलाशी के परिणामस्वरूप, रुपये 1 करोड़ की नकदी जब्त की गई।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि हरि शंकर टिबरेवाल ने सट्टेबाजी वेबसाइट "स्काईएक्सचेंज" के लिए अवैध सट्टेबाजी संचालन में महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ भी साझेदारी की थी। हरि शंकर टिबरेवाल ने भारत और भारत के बाहर संचालित कई कंपनियों के माध्यम से सट्टेबाजी संचालन से उत्पन्न अपराध की आय का शोधन (लॉन्ड्रिंग) किया था। हरि शंकर टिबरेवाल ने भारतीय कंपनियों के लिए शेयर निवेश की आड़ में अपराध की आय को वैध बनाने और छिपाने के लिए सूरज चोखानी का इस्तेमाल किया। पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत दिनांकः 28/29.02.2024 को कोलकाता में श्री सूरज चोखानी सहित हरि शंकर टिबरेवाल के सहयोगियों के परिसरों में की गई तलाशी से पता चला कि इन निवेशों के लिए अधिकांश स्रोत इन कंपनियों में नकदी के बदले बैंक प्रविष्टियाँ प्राप्त करने और प्राप्त राशि का उपयोग शेयर बाज़ार में निवेश करने के माध्यम से एकत्र किए गए हैं। दिनांकः 29.02.2024 तक, हरि शंकर टिबरेवाल के सहयोगियों के नियंत्रण वाली भारतीय कंपनियों के स्टॉक पोर्टफोलियो में लगभग 580 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ थीं। विदेशी संस्थाओं ने भी एफपीआई मार्ग के माध्यम से भारत में निवेश किया और 29.02.2024 तक उनके पास स्टॉक पोर्टफोलियो में 606 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां पाई गईं।

कोलकाता में तलाशी से यह भी पता चला कि हरि शंकर टिबरेवाल सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों के साथ मिलकर शेयर बाजार में हेराफेरी करने में भी शामिल था। हरि शंकर टिबरेवाल, अपनी विपुल पूंजी का उपयोग करके, शेयर की कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव पैदा करता था, उन्हें ऊपर की ओर ले जाता था, और फिर कीमतें वांछनीय स्तर पर पहुंचने पर पूंजी निकाल लेता था।

दिनांकः 04.03.2024 को गोवा में एक प्रमुख पैनल संचालक के संबंध में भी तलाशी ली गई। यह पैनल ऑपरेटर एक और सट्टेबाजी बुक के लॉन्च के लिए गोवा में था। इसके अतिरिक्त, तलाशी में पैनल संचालक के कब्जे से 48 लाख रुपये की नकदी जब्त हुई।

इस मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान चल संपत्ति कुल **1764.5 करोड़** रुपये जब्त/जमा किए गए हैं। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें **142.86 करोड़ रुपये** मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मामले में अभियोजन शिकायतें दिनांकः 20.10.2023 और 01.01.2024 दर्ज की गई हैं। गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी की गिरफ्तारी से पहले इस मामले में नौ आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।